डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीना ,आर.ए.एस

मु0 उन0 आशारानी बनाम सरकार वगै0

दावा बाबत् 88,89,188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 177/24

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......– व हाजरी दादी मिनजानिब मुददठ व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश हेाकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

आदेश है कि वादी के खसरा नंबर 187 रकबा 0.73 हैक्ट0 वाके ग्राम नगला मिर्चुआ के हाल राजस्व नक्शा में गलत रूप से तरमीम हो रहे रकबा को मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट दुरूस्त किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो।

बेज – मुबलिग – – – – बावत – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ————————फीसदी सालाना आजकी तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक —————— की अदा करें ।

दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 03/07/25 को जारी की गई ।

दस्तखत———— 3/7/25

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			..............................मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:20:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

1. आशारानी पत्नी राजवीर सिंह जाति जाट निवासी नगला मिर्चुआ नदबई जिला भरतपुर।

वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार नदबई।
2. केनरा बैंक शाखा नदबई जरिए प्रबंधक।

प्रतिवादीगण

3/3/25
सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:20:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 177/24
जी.सी.एग.एस. नम्बर 2024/289
किस्म दावा 88,89,188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 03.07.2025

1. आशारानी पत्नी राजवीर सिंह जाति जाट निवासी नगला मिर्चुआ तहसील नदबई जिला भरतपुर।

वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार नदबई।
2. केनरा बैंक शाखा नदबई जरिए प्रबंधक।

प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री अशोक कुमार एड.(वादी की ओर से)

निर्णय

दावा अंतर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.ए.

1. यह कि वादी व प्रतिवादीगण वाद के लिए पूर्ण सक्षम व्यक्ति हैं। दावा लड़ने योग्य हैं।
2. यह कि हाल आराजी खसरा नंबर 187 रकबा 0.73 खाता संख्या 87 वाके ग्राम नगला मिर्चुआ तहसील नदबई में स्थित है।
3. यह कि हाल आराजी खसरा नंबर 187 जो सैटलमेंट संवत 2060 में विगत खसरा नंबर 137 मिन रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा से निर्मित किया गया है। उक्त खसरा नंबर के जो मूल खातेदार थे वह रामजीलाल पुत्र नत्थी जाति जाट निवासी बसैया कलां थे संवत 2052 से 2055 में खातेदार रामजीलाल गैर खातेदार थे जो संवत 2060 में इंतकाल नंबर 19 से व डिक्री दिनांक 20.08.2004 से गैर खातेदार से खातेदार के बजाय तेजवीर सिंह व वादी राजवीर सिंह पि0 भंमर सिंह जाति जाट निवासी साकिन देह गैर खातेदार स्वीकार हुआ इसके बाद मुताबिक आदेश जिला एवं सत्र न्यायाधीश भरतपुर के निर्णयानुसार इंतकाल नंबर 79 से वादी राजवीर सिंह व वादी तेजवीर सिंह दिनांक 02.03.2006 को खातेदार स्वीकार किए गए उक्त खसरा नंबर 137 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा से हाल खसरा नंबर [illegible] 0.73 निर्मित किए गए तो राजवीर सिंह व भाई [illegible] में दर्ज था तेजवीर ने उक्त आराजीयात में से अपने 1/2 हिस्से [illegible] राजि0

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:20:10 IST
Reason: SelfAttested

3/7/25

Scanned with OKEN Scanner

बयनामा बेचान कर दिया मुताबिक बयनामा वादी दाखिला खारिज से खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड हो गए तथा राजवीर द्वारा उक्त आराजीयात को वादिनी आशारानी को जरिए रजि0 बयनामा बेचान कर दिया है जो बदस्तूर आज तक खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है।

4. यह कि साबिक खसरा नंबर 137 जिसके दो टुकडे थे एक टुकडा 137 मिन 2 बीघा 13 बि0 का बना जो हाल खसरा नंबर 187 वादी की खातेदारी में दर्ज है। दूसरा टुकडा 137 मिन 2 बीघा 17 बि0 बना जिसका हाल खसरा नंबर 170 है जो शेरसिंह पुत्र प्रीतम, पुरूषोत्तम पुत्र खिल्लो, अमृतलाल पुत्र खचेरी जाति बघेल निवासी बसैया कलां की खातेदारी में दर्ज है। रिकॉर्डली उक्त दोनों ही नंबरों 72 एयर व 73 एयर सही दर्ज है। लेकिन हाल नक्शा में तरमीम करते समय खसरा नंबर 187 जो मौके पर नक्शा के मुताबिक पैमाईश करने पर 73 एयर का होना चाहिए था। वह हाल नक्शा की पैमाईश करने पर 61 एयर का तरमीम छोटा कर रखा है। व खसरा नंबर 170 जो कि नक्शा में पैमाईश करने पर 72 एयर का होना चाहिए थ व हाल नक्शा में तरमीम करते समय गलत 84 एयर का दर्ज कर रखा है। इसलिए वादी मुताबिक खातेदारी व मुताबिक पुराने नक्शा हाल नक्शा में हो रहे गलत तरमीम को शुद्ध करवाकर खसरा नंबर 187 की हाल नक्शा में 12 एयर रकबा बढाकर के सही तरमीम की जावे व खसरा नंबर 170 में 12 एयर रकबा कम किया जावे तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

5. यह कि प्रतिवादी ने वादी को दिनांक 09.09.2024 को यह धमकी दी है कि वह हाल नक्शा के आधार पर हाल दर्ज रिकॉर्ड में वादी के रकबे को 73 एयर के स्थान पर 61 एयर दर्ज कर देगा व रिकॉर्ड की यथास्थिति को परिवर्तित कर देगा व मौके पर वादी को 73 एयर पर काबिज है उसे 12 एयर रकबा से बेदखल कर देगा। यदि प्रतिवादीगण अपनी उक्त धमकी में कामयाब हो गए तो वादी को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिए नकद से न हो सकेगी अतः वादी प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री सेपाबंद करा पाने की अधिकारी है कि वह राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखे एवं वादी को मौके पर काबिज 73 एयर से बेदखल न करे। वादी के कब्जे में कोई मदाखलत मजाहमत न करें। दावा अंदर म्यांद पेश है। प्रार्थना पत्र 80 (2) जा.दी. अलग से पेश है। प्रतिवादी संख्या 2 विवादित आराजी के रहन होने के कारण मुकदमा पक्षकार बनाया गया है उनसे कोई रिलीफ नहीं चाही गई है।

वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 [illegible] से उक्त दावा के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई जिस[illegible] तहसीलदार नदबई के पत्रांक 554 दिनांक 10.06.2025 [illegible] प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:20:10 IST
Reason: SelfAttested

3/7/25

Scanned with OKEN Scanner

वादी द्वारा अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत 2074-77 वाके ग्राम नगला मिर्चुआ तहसील नदबई पेश की गई।

हमने वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना एवं तहसीलदार नदबई से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया। वादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में दावा में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा तहसीलदार नदबई से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार विवादित आराजी खसरा नंबर 187 रकबा 0.73 वाके ग्राम नगला मिर्चुआ तहसील नदबई जमाबंदी संवत 2075 से स्थायी आशारानी पत्नी राजवीर सिह हिस्सा पूर्ण जाति जाट के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। तथा खसरा नंबर 170 रकबा 0.72 है0 वाके ग्राम नगला मिर्चुआ अमृतलाल पुत्र खचेरी वगै0 जाति गडरिया साकिन बरौया कला के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड अनुसार उक्त खसर नंबर 187 रकबा 0.73 हैक्ट0 दर्ज है जबकि रकबा गणना करने पर (हाल नक्शा लट्ठा मुता0) उक्त खसरा नंबर 0.65 हैक्ट0 बनता है अर्थात राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रकबा 0.73 हैक्ट0 से 0.08 हैक्ट0 का अंतर (कम) है। मौके पर संलग्न नजरी नक्शानुसार वादी काबिज है जिसका कब्जेशुदा रकबा 0.73 हैक्ट0 बनता है। अतः राजस्व नक्शे में खसरा नंबर 187 का रकबा 0.08 हैक्ट0 खसरा नंबर 170 की ओर बढाकर शुद्ध किया जाना उचित है।

वादी अधिवक्ता की बहस एवं तहसीलदार नदबई से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया तो पाया कि वादी का खसरा नंबर 187 रकबा 0.73 हैक्ट0 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है परन्तु गणना करने पर उक्त खसरा का क्षेत्रफल 0.65 हैक्ट बनता है अर्थात राजस्व नक्शा में वादी के खसरा नंबर का क्षेत्रफल उसके नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज एवं काबिज 0.73 हैक्ट0 से 0.08 हैक्ट कम है। तहसीलदार नदबई द्वारा रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया है कि राजस्व नक्शे में उक्त खसरा नंबर 187 का कम हुआ रकबा 0.08 हैक्ट0 खसरा नंबर 170 की तरफ बढाकर शुद्ध किया जाए। अतः तहसीलदार नदबई की तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर दावा वादी स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

अतः आदेश है कि वादी के खसरा नंबर 187 रकबा 0.73 हैक्ट0 वाके ग्राम नगला मिर्चुआ के हाल राजस्व नक्शा में गलत रूप से तरमीम हो रहे रकबा को मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट दुरूस्त किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.07.2025 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:20:10 IST
Reason: SelfAttested

(सहायक कलक्टर)
नदबई

Scanned with OKEN Scanner